

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

उषा देवी

बनाम

माराधन लाल

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 224/2022

2022/347

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

20/5/22

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती उषा देवी पत्नी कनिल कुमार विशोरिया

हेमा देवी पत्नी अतुल कुमार 140 (विशोरिया)

निवासी- स्टेशन रोड चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम

बडार का खेडा (पन्ह. सतपुडा) स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 105

कुल कीता 1 कुल रकबा 0.1400 है० की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम बडार का खेडा स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 105

कुल कीता 1 रकबा 0.1400 है० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 500/- रूपये अक्षरे पन्च हो रजिस्ट्रार प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)

सहायक कलेक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौड़गढ़ (राज.)